

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/92001/AZM/AZAMGARH/1092/CFO

दिनांक : 10-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **NEW CAMBRIDGE SENIOR SECONDARY SCHOOL** पता **708-715 oblic 1,SANICHAH BAZAR,AZAMGARH** तहसील - **PHOOLPUR** प्लाट एरिया **7564.50 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **9593.0** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	4	0	13.25 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **NEW CAMBRIDGE SENIOR SECONDARY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **13-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NAIYER AZAM KHAN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-08-2023** से **13-08-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **NEW CAMBRIDGE SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **NEW CAMBRIDGE SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : आवेदक ने केवल एजुकेशनल बिल्डिंग B-1 के FINAL NOC के लिए आवेदन किया है और इसी बिल्डिंग के लिए संस्तुति की जा रही है। 2-उ०प्र० अग्नि तथा आपात सेवाये अधिनियम 2022 के धारा-26(5) दिनांक 13-12-2022 के तहत भवन स्वामी/प्रबंधक भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की रख-रखाव एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र किसी trained एवं qualified एजेंसी/व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर वर्ष में दो बार (माह जनवरी व जुलाई) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIVEK KUMAR SHARMA

D77643FABD379413E979A3BFD5B58C2A26192BD7

14-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **14-08-2023**

स्थान : **AZAMGARH**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.